बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–4/अ0प्र0–01–02/2021 81 **/पटना, दिनांक**–10/3/2021

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन सं0–0411/2011 के द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु किये गये अनुशंसा के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश सं0–140 सहपठित ज्ञापांक–1248 दिनांक–08.02.2019 के क्रमांक–105 द्वारा श्री कुमार गौरव को कनीय अभियंता (असैनिक), ग्रामीण कार्य विभाग के पद पर औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया, जिसके अनुपालन में श्री कुमार गौरव ने अपने पूर्व के नियोक्ता अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, भारत सरकार, रेल मंत्रालय के अधीन पूर्व में धारित पद जेआरई/इंजी/टीएमएम से विधिवत कार्यमुक्त होकर दिनांक–21.02.2019 को मुख्यालय में योगदान समर्पित किये। तत्पश्चात् विभागीय कार्यालय आदेश सं0–155 सहपठित ज्ञापांक–1615 दिनांक–25.02.2019 (क्रमांक–70) के द्वारा श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता को कार्य प्रमंडल, बांका–1 के कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 में पदस्थापित किया गया, जहाँ वे दिनांक–27.02.2019 को योगदान समर्पित कर कार्यरत है।

2. श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका–1 के कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 ने अपने पारिवारिक/निजी कारणों से अपने पूर्व के नियोक्ता अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, मानक नगर, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन लियन के तहत धारित पद पर पुर्नयोगदान देने के निमित्त वापस लौटने संबंधी अभ्यावेदन दिनांक–12.01.2021 समर्पित कर वर्त्तमान पदस्थापित कार्यालय से प्रभार मुक्त किये जाने की तिथि से त्याग पत्र को स्वीकृत करने के साथ पूर्व के नियोक्ता के अधीन पुर्नयोगदान देने हेतु विरमित किये जाने का अनुरोध किया गया। जिसे कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका–1 के द्वारा अनुशंसा के साथ विभाग के समक्ष अग्रसारित किया गया।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–784 अनु0 दिनांक–10.02.2021 के द्वारा मुख्य कार्मिक अधिकारी/सहायक कार्मिक अधकारी, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार से श्री गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता को उनके अधीन धारित पूर्व में धारित पद पर रिज्वाईनिंग कराने के निमित्त कतिपय बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की माँग की गयी। तद्‌लोक में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी–1, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–ई–6/एईपी–5445 दिनांक–26.02.2021 के द्वारा यह मुख्य रूप से यह प्रतिवेदित किया गया कि उक्त कनीय अभियंता को पूर्व में धारित पद पर कार्य ग्रहण कराने हेतु सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है, फलतः उनके द्वारा श्री गौरव को पुनः अपने संगठन में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु अतिशीघ्र विरमित करने का अनुरोध किया गया।

4. उल्लेखनीय है कि श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका–1 के कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 के विरूद्ध इस विभाग में कोई आरोप लंबित नहीं है। उक्त नवनियुक्त कनीय अभियंता अपने पूर्व के नियोक्ता के अधीन धारित पद पर

वापस जाने/पुर्नयोगदान देने से संबंधी लिये गये निर्णय पर उनके नियंत्री पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका–1 के द्वारा अनुशंसा किया गया है। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी–1, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार उक्त नवनियुक्त कनीय अभियंता को विरमित करने के उपरान्त पूर्व नियोक्ता के अधीन धारित पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1, कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 के द्वारा किये गये अनुरोध तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा किये गये अनुशंसा के फलस्वरूप श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता के द्वारा वर्त्तमान धारित पद कनीय अभियंता (असैनिक) से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकृत करते हुए इस पद का दावा/अभ्यर्थितत्व समाप्त किया जाता है। भविष्य में इस पद पर इनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता को उनके पूर्व के नियोक्ता अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन लियन के तहत पूर्व में धारित पद पर पुर्नयोगदान देने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1 उन्हें विधिवत कार्यमुक्त करेंगे। इसके साथ ही यदि उक्त कनीय अभियंता के उपर कोई लंबित प्रभार हो, तो उसका नियमानुकूल आदान–प्रदान कराने के साथ पूर्व का बकाया वेतनादि का नियमानुकूल भुगतान करते हुए श्री कुमार गौरव, नवनियुक्त कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, बांका–1, कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 से संबंधित अद्यतन संगत अभिलेख भी यथाशीघ्र उनके पूर्व के नियोक्ता अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7. यह आदेश तात्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक :– 4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः– 4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, बांका एवं सम्बन्धित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

P.T.O

Office Order

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

निबंधित

प्रतिलिपिः– वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी–1, अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक–ई–6/एईपी–5445 दिनांक– 26.02.2021 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक एवं अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः– उप सचिव (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं विभागान्तर्गत सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः–श्री कुमार गौरव, कनीय अभियंता (असैनिक) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका–1, कार्य प्रशाखा, शंभूगंज–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांकः–4/अ0प्र0–01–02/2021 1540 /पटना, दिनांक– 10/3/2021

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/21

अभियंता प्रमुख।

Office Order